



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2685]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2013/अग्रहायण 8, 1935

No. 2685]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2013/AGRAHAYANA 8, 1935

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2013

का.आ. 3535(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बंगलौर, अधिनियम, 2012 (2012 का 38) की धारा 5 (घ) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शायितयों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर का गठन करती है, अर्थात् :—

- I. धारा 5 (घ) की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन सदस्य:
1. मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार — पदेन
- II. धारा 5 (घ) की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन सदस्य:
2. मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (आयुर्विज्ञान शिक्षा) कर्नाटक सरकार — पदेन
- III. धारा 5 (घ) की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन सदस्य:
3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव, भारत सरकार — पदेन
- IV. धारा 5 (घ) की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन सदस्य:
4. निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर — पदेन
- V. धारा 5 (घ) की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन सदस्य:
5. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का सचिव, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिति (जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो) — पदेन
- VI. धारा 5 (घ) की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन सदस्य:
6. उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिति (जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो) — पदेन
- VII. धारा 5 (घ) की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन सदस्य:

7. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन

VIII. धारा 5 (घ) की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन सदस्य: – पदेन

8. उपकुलपति, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि विद्यालय, कर्नाटक

IX. धारा 5 (घ) की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन सदस्य: – पदेन

9. कर्नाटक सरकार का मुख्य सचिव या उसका नामनिर्देशिति (जो उस सरकार में सचिव की पवित्र से अन्यून ना हो) – पदेन

X. धारा 5 (घ) की उपधारा (1) के खंड (ञ) के अधीन सदस्य: – पदेन

10. प्रो. के. विजय राधवन, जैव प्रोद्योगिकी विभाग, भारत सरकार।

11. डा. वी. एस. चौहान, अंतरराष्ट्रीय अनुवंशिक इंजीनियरी और जैव प्रोद्योगिकी केंद्र, नई दिल्ली।

12. डा. विकम पटेल, आचार्य, इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रापिकल मेडिसिन, लंदन और संगथ, गोवा।

13. डा. रमेश बुधानी, निदेशक, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली।

14. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) प्रभा श्रीदेवन, अध्यक्ष, भौतिक संपदा अपील अधिकरण, चेन्नई।

15. श्री अमृत बक्शी, अध्यक्ष विखंडित – मनस्कता जागरूकता संगम, पुणे।

16. डा. आर. थारा, निदेशक विखंडित – मनस्कता अनुसंधान (एस.सी.ए.आर.एफ), चेन्नई।

XI. धारा 5 (घ) की उपधारा (1) के खंड (ट) के अधीन सदस्य: – पदेन

17. प्रो. शोभा श्रीनाथ, आचार्य, बालक और किशोर मनोविकार चिकित्सा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर।

18. डा. एस. के. पांडया, सेवानिवृत, विभागाध्यक्ष, तंत्रिका शल्य कर्म, किंग एडवर्ड स्मारक अस्पताल, मुम्बई।

19. प्रो. भावतोश विश्वास – आचार्य और प्रमुख, हृदय और वक्ष शल्य कर्म, आर. जी. कार. विकित्सा महाविद्यालय, कोलकाता।

20. डा. वी. रवि, आचार्य और प्रमुख, तंत्रिका विशाणुविज्ञान, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर।

XII. धारा 5 (घ) की उपधारा (1) के खंड (ठ) के अधीन सदस्य: – पदेन

21. श्री ध्रुव नारायण, संसद सदस्य, लोक सभा।

22. श्री अनंत कुमार, संसद सदस्य, लोक सभा।

23. श्री एस. एम. कृष्णा, संसद सदस्य, राज्य सभा।

सदस्यों की पदावधि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर, अधिनियम, 2012 की धारा 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होगी।

[फा. सं. वी. 18013/01/2013—पी.एच.—I]

सुश्री सुजया कृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2013

S.O. 3535(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 5(d) of the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Act, 2012 (38 of 2012), the Central Government hereby constitutes the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, Bangalore consisting of the following members, namely:-

I. Member under clause (a) of sub-section (1) of section 5(d):
1. Minister of Health and Family Welfare, Government of India - *ex officio*

II. Member under clause (b) of sub-section (1) of section 5(d):
2. Minister of Health and Family Welfare (Medical Education), Government of Karnataka - *ex officio*

III. Member under clause (c) of sub-section (1) of section 5(d):
IV. Secretary to the Government of India in the Ministry or Department of Health and Family Welfare - *ex officio*

V. Member under clause (d) of sub-section (1) of section 5(d):
3. Director, National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore - *ex officio*

VI. Member under clause (e) of sub-section (1) of section 5(d):

4. Secretary to the Government of India or his nominee (not below the rank of Joint Secretary) Ministry of Finance, Department of Expenditure

-ex officio

VII. Member under clause (f) of sub-section (1) of section 5(d):

5. Secretary to the Government of India or his nominee (not below the rank of Joint Secretary) in the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development

- ex officio

VIII. Member under clause (g) of sub-section (1) of section 5(d):

6. Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

-ex officio

IX. Member under clause (h) of sub-section (1) of section 5(d):

7. Vice Chancellor of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka

-ex officio

X. Member under clause (i) of sub-section (1) of section 5(d):

8. Chief Secretary to the Government of Karnataka or his nominee who shall not be below the rank of Secretary to that Government

-ex officio

XI. Member under clause (j) of sub-section (1) of section 5(d):

9. Prof. K. Vijay Raghavan, Secretary, Department of Biotechnology, Government of India
 10. Dr. V.S. Chauhan, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, New Delhi.
 11. Dr. Vikram Patel, Professor of International Mental Health, London School of Hygience and Tropical Medicine, London and Sangath, Goa
 12. Dr. Ramesh Budhani, Director, National Physical Laboratory, New Delhi.
 13. Justice (Retd.) Prabha Sridevan, Chairperson, Intellectual Property Appellate Tribunal, Chennai.
 14. Shri Amrit Bakshy, President, Schizophrenia Awareness Association, Pune.
 15. Dr. R. Thara, Director, Schizophrenia Research Foundation (SCARF), Chennai.

XII. Member under clause (k) of sub-section (1) of section 5(d):

16. Prof. Shobha Srinath, Professor, Child and Adolescent Psychiatry, National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore.
 17. Dr. S.K. Pandya, Retd. Head of the Department, Neurosurgery, King Edward Memorial Hospital, Mumbai.
 18. Prof. Bhabatosh Biswas, Prof. and Head, Cardio and Thoracic Surgery, R.G. Kar Medical College, Kolkata.
 19. Dr. V. Ravi, Professor and Head, Neurovirology, National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore.

XIII. Member under clause (l) of sub-section (1) of section 5(d):

20. Shri. Dhruvanarayana, Member of Parliament, Lok Sabha.
 21. Shri. Ananth Kumar, Member of Parliament, Lok Sabha.
 22. Shri S.M. Krishna, Member of Parliament, Rajya Sabha.

The terms of office of the members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, Bangalore Act, 2012.

[F. No. V. 18013/01/2013-PH-I]

Ms. SUJAYA KRISHNAN, Jt. Secy.